

सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खाते में

शारदीय (खरीफ) फसलों को डीजल चालित पम्पसेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

योजना का लाभ

- डीजल पम्पसेट से सिंचाई हेतु 75 रु० प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है।
- एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के आलोक में शारदीय (खरीफ) फसलों की डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल पर प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 750 रुपये की दर से अनुदान दिया जायेगा।
- धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ दिया जायेगा।
- खड़ी फसल में धान, मक्का अन्य शारदीय (खरीफ) फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ दिया जायेगा।
- प्रति किसान अधिकतम 08 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा। यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जायेगा।
- डीजल अनुदान से खड़ी फसलों की सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों (रेयत/गैर रेयत) को देय है।
- रेयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है।
- वैसे किसान, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर-रेयत), उन्हें प्रमाणित/सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य/वार्ड पार्षद/मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जायेगी।
- सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले, इसके लिए खेत पर लाभार्थी किसान के साथ जियो टैंगिंग फोटो खींचकर अपलोड किया जायेगा।
- केवल वैसे ही किसान, इस योजना के तहत आवेदन करें, जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं।
- डीजल का क्रय कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है, की जाँच संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा किया जायेगा।
- अधिकृत पेट्रोल पम्प से डीजल क्रय के उपरान्त डिजिटल पावती रसीद (डिजिटल वाउचर) जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम दस अंक अंकित हो, मान्य होगा। अगर किसी कारणवश पेट्रोल पंप द्वारा अंतिम दस अंक अंकित नहीं किया जाता हो तो किसान स्वयं पंजीकरण का अंतिम 10 अंक अभिश्रव पर अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे तथा आवेदन के साथ अपलोड करेंगे।
- सत्यापन के समय डीजल क्रय का मूल अभिश्रव कृषि समन्वयक को देना अनिवार्य होगा।
- राज्य के बाहर अवस्थित पेट्रोल पंप से क्रय किये गये डीजल पर अनुदान देय नहीं होगा।
- किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- डीजल पावती रसीद पर किसानों का पूर्ण दस्तखत अथवा अंगूठा का निशान होना अनिवार्य है। डीजल पावती रसीद पर अंगूठा का निशान देने की स्थिति में उस पर कृषि समन्वयक का सत्यापन कराकर हीं किसान आवेदन करें।
- दिनांक 30.10.2025 तक सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल के लिए ही यह मान्य होगा।
- इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।
- छोटे-मोटे त्रुटियों के कारण आवेदन अस्वीकृत होने पर किसान पुनः आवेदन कर सकते हैं।
- किसान भाइयों एवं बहनों से अनुरोध है कि कृषि विभाग, विहार सरकार के वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html> के दिये गये लिंक DBT in Agriculture पर या <https://dbtagriculture.bihar.gov.in> पर डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर इस योजना का लाभ उठायें।



नोट: अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित कृषि समन्वयक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी तथा किसान कॉल सेन्टर के टॉल फ्री नं. 18001801551 पर सम्पर्क कर सकते हैं।